

डिक्री बमुकदमें ईबादाई
अ. आदेशं 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 490/2025

नवदीप सिंह पुत्र बलकरण सिंह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली तहसील संगरिया।

वादी

बनाम

1. बलकरण हिस पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली तह. संगरिया
2. नवजोत सिंह पुत्र बलकरण सिंह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली तह. संगरिया
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री नवरत्न स्वामी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 25/1 ए.एम.पी. के खाता संख्या 224/34 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 मे प्रतिवादी संख्या 1 बलकरण सिंह पुत्र सुखदेव सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से 0.759 है. आराजी का वादी सतिन्द्र पाल सिंह को खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही हो तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज......नल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......
अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.9.2022 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया